(TO BE PUBLISHED IN PART I, SECTION 2 OF THE GAZETTE OF INDIA)

No. 7/3/2011-DRT Government of India Ministry of Finance Department of Financial Services

New Delhi, dated the 26th September, 2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri K.Sai Mohan as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, for a period of five years with effect from 10.9.2012 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

> (Rajiv Sharma) Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager Govt. of India Press, Faridabad – 121001. HARYANA. (with Hindi version)

Copy to:

- Shri K. Sai Mohan, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad.
- P.S. to Finance Minister / Minister of State (E & FS).
- The Chairpersons, Debts Recovery Appellate Tribunals at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Allahabad.
- 4. The Presiding Officers of all Debts Recovery Tribunals.
- The Registrar (Vigilance), High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad in respect 5. of Order ROC No.6842/2011-B.SPL dated 29.8.2012.
- The Chief Executives of all public sector banks. 6.
- The Establishment Officer, Department of Personnel and Training, North 7. Block, New Delhi.
- The Pay & Accounts Officer, Nagpur.
- All Officers/ sections in the Department of Financial Services.
- 10. Guard File

(भारत के राजपत्र के भाग । खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 7/3/2011-डीआरटी

भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक ३६ टिन्तम्बर 2012

अधिसूचना

बैंकों और वितीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री के. साई मोहन को दिनांक 10.09.2012 (पूर्वाह्र) से पांच वर्ष की अविध के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

YING!

(राजीव शर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद-121001 हरियाणा।

प्रति प्रेषित:

- 1. श्री के. साई मोहन, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद।
- 2. वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री (व्यय एवं वितीय सेवाएं) के निजी सचिव।
- 3. अध्यक्ष, डीआरएटी, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता और इलाहाबाद।
- 4. सभी ऋण वसूली अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी।
- 5. पंजीयक (सतर्कता), आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद को उनके दिनांक 29.8.2012 के आदेश आरओसी नं. 6842/2011-बी.एसपीएल के संदर्भ में।
- 6. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालक।
- 7. स्थापना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
- 8. भ्गतान एवं लेखा अधिकारी, नागप्र।
- 9. वितीय सेवाएं विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
- 10. गार्ड फाइल।